

प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 19.07.2022

शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहा अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में चलाये जा रहे अभियान/निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक उत्तरी गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कैम्पिंगंज के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रदीप शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 19.07.2022 को थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत 30नि0 घनश्याम उपाध्याय का0 पवन कुमार, का0 दीशू राय के क्षेत्र में मामूर थे, मुखबीर की सूचना पर मु0अ0सं0 260/2022 धारा 376,506 भादवि थाना चिलुआताल से संबन्धित वांछित अभियुक्त अखिलेश सिंह उर्फ गोलू पुत्र शिव प्रसाद सिंह निवासी मीरपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को समय करीब 09.40 बजे सिहोरवा बाजार चौराहा से गिरफ्तार किया गया। जिनको माननीय न्यायालय भेजा रहा है

घटना का संक्षिप्त विवरण- अभियुक्त द्वारा वादिनी कंचनलता पुत्री बलिराम सिंह निवासी बौरडीह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को शादी का झांसा देकर बलात्कार करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना चिलुआताल पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिससे संबन्धित वांछित चल रहे अभियुक्त को चिलुआताल पुलिस द्वारा आज दिनांक 19.07.2022 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का स्थान व समय:-

सिहोरवा बाजार चौराहे के पास से समय करीब 09.40 बजे दिनांक 19.07.2022

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता ---

अखिलेश सिंह उर्फ गोलू पुत्र शिव प्रसाद सिंह निवासी मीरपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 260/2022 धारा 376,506 भादवि थाना चिलुआताल गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1- 30नि0 घनश्याम उपाध्याय थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
- 2- का0 पवन कुमार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
- 3- का0 दीशू राय थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर